राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1036/2024

गुरूदयाल सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद राजस्थान, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.02.2024
आदेश की दिनांक : 18.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ आयुर्वेद कम्पाउडर के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, दलेलपुरा, झुंझुनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के राजकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, जैसलमेर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापित स्थान पर अन्य किसी भी कार्मिक को नियुक्त नहीं किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना पद नाम दर्शाये किया गया है जबकि अपीलार्थी वरिष्ठ आयुर्वेद कम्पाउडंर के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी एवं अपीलार्थी की पत्नी दोनों ह्रदय रोग से पीड़ित है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 500 कि.मी. दूर किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर वरिष्ठ आयुर्वेद कम्पाउडंर के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, दलेलपुरा, झुंझुनू में कार्यरत रखा जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य